न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 30 / 2021

उनवान

रमेश चन्द्र पिता गंधर्वजी प्रजापत जाति प्रजापत निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) शंकर पिता नाथीया भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) रमण पिता रतना भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) नगा पिता रतना भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) कोदरी पत्नि देवा भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(5) रूपा पिता हुरा भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(6) कोदर पिता लालु भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(7) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 03.01.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3246 / 1585 रकबा 0.10 हे. वाके ग्राम सुन्दनी तहसील गढ़ी में स्थित है। वादी अपने स्वामित्व की उक्त भूमि पर काश्त करतें हुऐ इसका उपयोग व उपभोग वर्षो से करता चला आ रहा है। वादी की अपनी उक्त भूमि पर वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नही है। वाद प्रस्तुत करने के 04 रोज से प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण करने उतारू होकर कब्जा करने का प्रयास करने लगें, वादी द्वारा मौके पर जाकर रोकने पर प्रतिवादीगण लड़ाई—झगड़े पर उतारू होकर धमकाने लगे की इस जमीन को छोड़ कर चलें जाओं वरना एट्रोसिटी के केस में फसा देंगे। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर एंव मुकदमें का भय बताकर जमीन हड़पने आमादा है। जिन्हें जकरये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक होने से धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री मणिलाल ताबियार, अभिभाषक का वकलातनामा पेश होकर पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाकर वादी अभिभाषक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाने पर वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वादी ही वादी की साक्ष्य है। पृथक से वादी की ओर से काई साक्ष्य प्रस्तुत नही की जाने का कथन करतें हुऐ मेरिड के आधार पर निर्णय जारी कराने निवेदन किया।

प्रकरण में वादी अभिभाषक के कथन एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या 373 (नई) 300 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3246 / 1585 रकबा 0.10 हे0 भूमि का वादी खातेदार कृषक है। वादी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने की चेष्टा की जाने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या 373 (नई) 300 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3246 / 1585 रकबा 0.10 हे0 भूमि पर किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कार्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:47 IST
Reason: SelfAttested

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या 373 (नई) 300 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3246/1585 रकबा 0.10 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकामः गढ़ी व इजलासः अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 30/2021

उनवान

रमेश चन्द्र पिता गंधर्वजी प्रजापत जाति प्रजापत निवारी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) शंकर पिता नाथीया भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) रमण पिता रतना भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) नगा पिता रतना भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) कोदरी पत्नि देवा भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(5) रूपा पिता हुरा भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(6) कोदर पिता लालु भगोरा जाति भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(7) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 03.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या 373 (नई) 300 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3246/1585 रकबा 0.10 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 03.01.2023 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
		कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

03.1.23 पत्रावली पेश हुई। मकूलात उपस्थित। प्रतिवादी अभिभावक को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। लिहाजा प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। वादी अभिभावक ने वादी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुये वादी के वाद को ही साक्ष्य माने जाने बाबत निवेदन करते हुये निर्णय पारित करने निवेदन किया। प्रकरण में निर्णय/डिक्री पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner